बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563; फैक्स नं० : 2231562, , बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, बेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 17/10/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-20/2024 2868 प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2501 दिनांक 22.08.2025 द्वारा **साढ़ा पैक्स, प्रखंड- छपरा सदर, जिला- सारण** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। मतदाता सूची विवाद एवं नामांकन में अनियमितता की शिकायत के कारण उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 2682 दिनांक 16.09.2025 द्वारा स्थगित किया गया था। प्राधिकार के पत्रांक 2690 दिनांक 17.09.2025 द्वारा उप विकास आयुक्त, सारण से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। उप विकास आयुक्त, सारण के पत्रांक 188 दिनांक 03.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत **साढ़ा पैक्स** के निर्वाचन कार्यक्रम को स्थगन के स्तर से निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त आलोक में अधिसूचना संख्या-2501 दिनांक 22.08.2025 के क्रम में निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है-

(i)	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखते हुए संशोधित कार्यक्रम का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशन	22.10.2025 (बुधवार)
(ii)	पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार संवीक्षा के अंतिम दिन प्राप्त आपत्तियों का निराकरण (यदि कोई हो)	30.10.2025 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	31.10.2025 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	10.11.2025 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	10.11.2025 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	12.11.2025 (बुधवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **साढ़ा पैक्स** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्वाचन पदाधिकारी इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 24.10.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. **मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ कार्यालय से अलग किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।**

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या- 2501 दिनांक 22.08.2025 के परिशिष्ट-1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 12.11.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखा जा सकता है।**

6. अधिसूचना संख्या- 2501 दिनांक 22.08.2025 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

17/10/25

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2868 पटना/ दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17/10/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2868 पटना/ दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सारण/ पुलिस अधीक्षक, सारण/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), सारण/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), छपरा सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2868 पटना/ दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2868 पटना/ दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2868 /पटना, दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2868 पटना/ दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

17/10/25

संयुक्त सचिव।